

थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 268/ 2020 धारा 498a/323/504/ 506 आईपीसी, 3/4 डीपी एक्ट व 3/ 4 मुस्लिम विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 बनाम फैजान पुत्र मकबूल अहमद मोहल्ला मंगल बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 281/20 धारा 323/304बी/498ए भादवि, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी अधिनियम के वाछित अभियुक्त नीरज सैनी , अर्जुन सैनी पुत्र गण गौपाल सैनी व गुड्डी पत्नि गौपाल निवासी दल्लीवाला थाना अफजलगढ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद अहमद पुत्र अशरफ निवासी ग्राम टांडा हिदायतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 500/20 धारा 363/376 आईपीसी व 3/4 पोस्को एक्ट मे वांछित अभियुक्त रामगोपाल उर्फ बिट्टू पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम शिवपुरी थाना स्योहारा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण इस्लामुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन निवासी मौ० कायस्थान निकट मेरठ की चुंगी जनपद बिजनौर से अवैध चाकू बरामदगी के सम्बन्ध में थाने पर मु०अ०सं० 655/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त रवि पुत्र पुष्पू निवासी मौ० खत्रियान रामलीला ग्राउण्ड थाना कोतवाली शहर से अवैध चाकू व चोरी का इनवर्टर, बैट्रा बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में मु०अ०सं० 656/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम व मु०अ०सं० 651/20 धारा 380 भादवि में 411 भादवि की वृद्धि कि गयी। दोनो अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

